उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–28/2022–23

शिवनारायण मंडल वगैरह

बनाम्

अनुशंकर मंडल

–: आदेश :–

दिनांक 29/12/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शिवनारायण मंडल वो छोटु कुमार वो भवेश मंडल वो कुलदीप मंडल वो उमेश मंडल वो दिनेश मंडल, पेसरान मिस्त्री मंडल, सा0–गंगटा फसिया, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस नं0–01/2021–22 के आदेश दिनांक–12.09.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केस नं0–01/2021–22 के आदेश दिनांक–12.09.2022 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–गंगटा फसिया नं0–195, जमाबंदी सं0–15, दाग नं0–387/498 रकवा 04–05–09 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गंगटा फसिया नं0–195, जमाबंदी सं0–15, दाग नं0–387/498 रकवा 04–05–09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्द्रमोहन मंडल प्रधान वो सूर्य नारायण मंडल, पे0–हरिहर मंडल के नाम से दर्ज है। उनका आगे कथन है कि बिहारी मंडल दोनों पक्ष के पूर्वज थे। बिहारी मंडल अपने पीछे एक पुत्र हरिहर मंडल एवं एक पुत्री जम्मू देवी को छोड़कर फौत कर गये। हरिहर मंडल की मृत्यु गत सर्वे सेटलमेंट के पूर्व हो गयी थी। इसलिए गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उनके दो पुत्र चन्द्रमोहन मंडल एवं सूर्य मोहन मंडल का नाम दर्ज किया गया। लेकिन हरिहर मंडल ने अपने जीवनकाल में ही विवादित जमीन अपनी बहन जम्मू देवी को दान में दिया था। क्योंकि हरिहर मंडल की बहन जम्मू देवी की शादी बहुत ही गरीब परिवार में हुई थी। इसलिए उसे अपनी जमीन पर बसा दिया था। जम्मू देवी को एक पुत्र परमेश्वर मंडल हुए। जम्मू देवी की मृत्यु के बाद परमेश्वर मंडल विवादित

जमीन पर दखलकार हुए। परमेश्वर मंडल को एक पुत्री शांति देवी हुई। शांति देवी की शादी सिंगेश्वर मंडल के साथ हुई एवं परमेश्वर मंडल की मृत्यु के बाद शांति देवी एवं उनके पति सिंगेश्वर मंडल उक्त जमीन पर दखलकार हुए। शांति देवी एवं सिंगेश्वर मंडल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मिस्त्री मंडल उक्त जमीन पर दखलकार हुए कृषि कार्य करने लगे। मिस्त्री मंडल को छः पुत्र हुए जो अपीलकर्त्तागण है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर अपने पूर्वजों के समय से ही दखलकार चले आ रहे हैं। चूँकि अपीलकर्त्तागण के पूर्वज उक्त जमीन पर करीब 90 वर्षों से दखलकार है। इसलिए उक्त जमीन पर उनलोगों का हक कायम हो गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन रकवा लम्बाई 159 कड़ी X चौड़ाई 144 कड़ी = 22896 वर्ग (0.229 एकड़), 00–07–06 धुर जमीन पर अपीलकर्त्तागण का पक्का मकान है एवं शेष जमीन पर तीन वृक्ष लगाया गया है तथा वे लोग शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सारी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गंगटा फसिया नं0–195, जमाबंदी सं0–15 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत चन्द्रमोहन मंडल प्रधान वो सूरज मोहन मंडल, पे0–हरिहर मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी की जमीन संयुक्त रूप से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। लेकिन बाद में दोनों जमाबंदी रैयत ने उक्त जमाबंदी की जमीन का बँटवारा कर लिया एवं बँटवारा के अनुसार अपील वाद जमीन स्व0 प्रेमशंकर मंडल के हिस्से में प्राप्त हुआ है। उत्तरवादी स्व0 प्रेमशंकर मंडल के पुत्र है। लेकिन अपीलकर्त्तागण ने उत्तरवादी के उक्त दाग नं0–387/498 के अंश भाग की जमीन पर मकान बना लिया है, जिसके कारण उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन दायर किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अंचल अमीन एवं

राजस्व कर्मचारी से स्थल जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। स्थल निरीक्षण के आधार पर जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया। जाँच प्रतिवेदन में उक्त दाग नं0–387/498 की जमीन को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत कर ट्रेश नक्शा के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है एवं जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मार्क A, D, E पर उत्तरवादी का दखल है। मार्क B के कुछ अंश एवं मार्क C पर अवैध रूप से अस्थायी निर्माण है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण बाहरी व्यक्ति है। उक्त जमाबंदी की जमाबंदी रैयत से अपीलकर्त्तागण का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। वे लोग ग्राम–गोकला सरैया, थाना–बौंसी, जिला–बांका, बिहार के रहने वाले है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण का दावा बिल्कुल ही निराधार है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के अनुसार जमाबंदी का दान के द्वारा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नियम संगत तरीके से आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गंगटा फसिया नं0–295, जमाबंदी सं0–15, दाग नं0–387/498 रकवा 04–05–09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्द्रमोहन मंडल प्रधान वो सूरज मोहन मंडल, पं0–हरिहर मंडल के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण की ओर से दावा किया गया है कि जमाबंदी रैयत चन्द्रमोहन मंडल वो सूरज मोहन मंडल के पिता–हरिहर मंडल को एक बहन जम्मू देवी थी। हरिहर मंडल ने ही दान स्वरूप उक्त जमीन अपनी बहन जम्मू देवी को दिया था एवं उसी समय से अपीलकर्त्तागण के पूर्वज उक्त जमीन पर दखलकार है एवं वर्तमान समय में अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर दखलकार है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो निम्न न्यायालय में एवं न ही वर्तमान अपील वाद में कोई कागजात दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण का दावा मौखिक है। यदि जम्मू देवी जमाबंदी

रैयत के पिता की बहन थी, तो उनका नाम गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज होना चाहिए था। लेकिन चूँकि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जम्मू देवी का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण का दावा सत्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–01/2021–22 में दिनांक–12.09.2022 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 20/12/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 20/12/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 14:25:16 +05:30
Location: 192.168.1.55